नोट: प्रधान अधिसूचना को अधिसूचना सं. 12/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 के माध्यम से सा.का.नि. 691(अ), 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार सा.का.नि. 1046 (अ), दिनांक 22 अगस्त, 2017 के माध्यम से अधिसूचना सं. 21/2017– केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 22 अगस्त, 2017, के द्वारा संशोधन किया गया है।

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st September, 2017

No. 25/2017-Central Tax (Rate)

G.S.R. 1180(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.12/2017-Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 691(E), dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification, in the Table, after serial number 81 and the entries relating thereto, the following shall be inserted namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"82	Chapter 9996	Services by way of right to admission to the events organised under FIFA U-17 World Cup 2017.	Nil	Nil".

[F. No. 354/173/2017-TRU]

RUCHI BISHT, Under Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* notification No. 12/2017 - Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, *vide* number G.S.R. 691(E), dated the 28th June, 2017 and was last amended by notification No. 21/2017-Central Tax (Rate) dated the 22nd August, 2017 *vide* number G.S.R. 1046(E), dated the 22nd August, 2017.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 सितम्बर, 2017

सं. 26/2017-केन्द्रीय कर (दर)

सा.का.नि. 1181(अ).—केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 11 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, परिषद की सिफारिशों पर, एतद्द्वारा केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 9 के तहत परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 28 के तहत आने वाली हैवी वॉटर एंड न्यूक्लियर फ्यूल्स की न्यूक्लियर पावर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को अंतर-राज्यीय आपूर्ति पर लगने वाले संपूर्ण केन्द्रीय कर में छूट प्रदान करती है।

[फा. सं. 354/173/2017–टी.आर.यू.]

रूचि बिष्ट, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st September, 2017

No. 26/2017-Central Tax (Rate)

G.S.R. 1181(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby exempts intra state supply of heavy water and nuclear fuels falling in Chapter 28 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) by the Department of Atomic Energy to the Nuclear Power Corporation of India Ltd. from the whole of the central tax leviable thereon under section 9 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017).

[F. No. 354/173/2017-TRU]

RUCHI BISHT, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 सितम्बर, 2017

सं. 24/2017-एकीकृत कर (दर)

सा.का.नि. 1182(अ).—केंद्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 15 की उपधारा (5) तथा धारा 16 की उपधारा (1) के साथ पठित एकीकृत माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 5 की उपधारा (1), धारा 6 की उपधारा (1), तथा धारा 20 के खंड (iii), एवं खंड (iv) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद की सिफारिशों पर एवं यह आश्वस्त होने पर कि ऐसा करना लोक हित में जरूरी है; भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 08/2017 एकीकृत कर (दर) दिनांक 28 जून, 2017 जो कि भारत के राजपत्र, असाधारण, खंड II, भाग 3, उप-खण्ड (i) में सा.का.नि. संख्या 683(अ), दिनांक 28 जून, 2017 को प्रकाशित हुआ है, में निम्न संशोधन करती है :-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम सं. 3 के समक्ष, कॉलम (3) की मद सं. (vi) और उससे संबंधित प्रविष्टियों, जो कि कॉलम (3), (4) और (5) में दी गई हैं, के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा: -

3	4	5
"(vi) केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, संघ शासित क्षेत्र, स्थानीय निकाय अथवा एक सरकारी प्राधिकरण को निम्नलिखित के निर्माण, संरचना, स्थापना, पूरा करने मरम्मत करने, नवीनीकरण करने या परिवर्तन करने के माध्यम से प्रदान की गई हो, - (क) एक सिविल संरचना या अन्य कोई मूल कार्य जिसका मुख्यतया उपयोग वाणिज्य, उद्योग या अन्य व्यापार व व्यवसाय से भिन्न हो; (ख) एक संरचना जिसका मुख्यतया उपयोग (i) शैक्षिक (ii) रोग-नैदानिक अथवा (iii) कला अथवा सांस्कृतिक स्थापना के लिए हो; अथवा	12	-